

30/12
25

अपीलांत व रेसपो. के अधिवक्ता अनुं।
अधिवक्ता अपीलांत जो बहस वास्ते पर्याप्त
अक्सर दिर जाने के बावजूद भी अनुपस्थित
रहें। लिहाजा अपीलांत की यह अपील
अदम पैरवी एवं अदम न्यायालय पालना
आदेश में खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार लेकर नंबर से कम
हो एवं वाखिल व फावर हो।

अपर कलक्टर बाडमेर
(ए.डी.एम.)